

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
कार्यालय आदेश

पत्रांक 4911656

पटना दिनांक 09/12/2025

गानवि- 08 लोकपाल (अतिरिक्त प्रभार) 06/2024

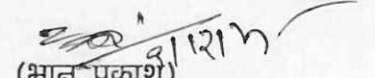
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गरांटी अधिनियम की धारा 27(1) अंतर्गत स्वतंत्र प्राधिकार लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति के नियमावली के कंडिका 5.2 के अनुपालन में निम्नलिखित जिले में जहाँ लोकपाल का पद रिक्त है, के लिए निम्न सारणी के अनुसार रिक्त पद के विरुद्ध अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्रम	रिक्त जिले का नाम	सम्बद्ध जिले का नाम	लोकपाल का नाम
1.	भागलपुर	मधेपुरा	श्री राम नारायण पासवान
2.	कटिहार	किशनगंज	श्रीमती सोनी कुमारी श्रीवास्तव

2. यह व्यवस्था पूर्णरूपेण अस्थायी है। लोकपाल के रिक्त पद पर विभाग द्वारा नियुक्ति के पश्चात यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

3. उल्लिखित लोकपाल को अतिरिक्त प्रभार के लिए मूल जिले में निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त 10,000/- (दस हजार) रुपये देय है एवं इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य भत्ता देय नहीं है।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(मानु प्रकाश)
अपर सचिव

ज्ञापांक 4911656

पटना, दिनांक 09/12/2025

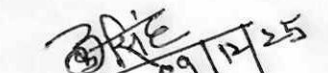
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार बीरचन्द्र पटेल पथ, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

ज्ञापांक

पटना, दिनांक 09/12/2025

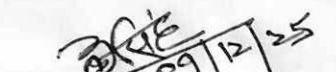
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त, भागलपुर एवं कटिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

ज्ञापांक 4911656

पटना, दिनांक 09/12/2025

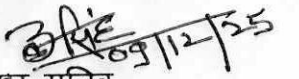
प्रतिलिपि:- श्री राम नारायण पासवान, लोकपाल (मनरेगा), मधेपुरा, भागलपुर / श्रीमती सोनी कुमारी श्रीवास्तव, लोकपाल (मनरेगा), किशनगंज, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

ज्ञापांक 4911656

पटना, दिनांक 29/12/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के आप्त सचिव / संयुक्त सचिव,
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRDS /
आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


अध्वर सचिव